228

संख्याः 1226 XIV–1/2011–5(7)/2011

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 जुलाई, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्या–611/xiv–1/2011–5(7)/2011 दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20011–12 में सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त धनराशि ₹ 3,22,000 (रूपये तीन लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः–

1. अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित न किया जाय। वित्त विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–2 में अंकित निर्देशों के अनुपालन में त्रैमास आधार पर अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारी न्यायधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा:–

मानक मद	व मद का नाम	धनराशि(हजार रू0 में)
04–	यात्रा व्यय	4
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5
08–	कार्यालय व्यय	12
11–	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5
13–	टेलीफोन पर व्यय	38
15–	गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	60
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	150
22–	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	9
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	19
45–	अवकाश यात्रा व्यय	8
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	12
	योग	322

(रूपये तीन लाख बाईस हजार मात्र)

3:– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:–1226(1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।